प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा।
2. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/ एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा /एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0 टी0आई0 नोएडा।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियिलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 01 अगस्त, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्लीनिकल, नान-क्लीनिकल व पैरा क्लीनिकल विषयों के लिए उपकरणों/फर्नीचर के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2025-26/249, दिनांक 06.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/472361/2024/71-1001/1703/2019, दिनांक 16.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में धनराशि रू0 1.00 लाख से अधिक लागत वाले उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने हेतु (1) नान क्लीनिकल विषयों हेतु (2) पैरा क्लीनिकल विषयों हेतु (3) क्लीनिकल विषयों व अन्य के लिए (4) सुपर स्पेशियलिटी एवं अन्य अतिविशिष्ट उपकरणों के लिए, पृथक-पृथक कुल 04 समितियों का गठन किया गया है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/605, दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों /चिकित्सा विश्वविद्यालयों में उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-133/2021/आई/112605/2021 दिनांक-03.11.2021 द्वारा **136 उपकरण**, शासनादेश संख्या-128/2022/आई/244885/2022 दिनांक-07.12.2022 द्वारा **393 उपकरण** एवं शासनादेश संख्या-148/2023/आई/426645/2023 दिनांक-10.11.2023 द्वारा **33 उपकरणों** की तकनीकी विशिष्टियां, जिनकी वैधता अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 (मार्च, 2025 तक) तक थी, के अतिरिक्त पूर्व के शासनादेशों क्रमशः दिनांक- 28.12.2017, 18.01.2018, 06.03.2018 व 23.08.2018 द्वारा स्वीकृत उपकरणों/फर्नीचरों की विभागवार समेकित सूची संलग्न कर वर्ष 2025-26 हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने हेतु तकनीकी विशिष्टिता निर्धारण समितियों को पृथक-पृथक प्रेषित किये गये थे।

तत्क्रम में प्रो0 पी0के0 दास, अध्यक्ष (**क्लीनिकल विषयों हेतु**) तकनीकी विशिष्टिता निर्धारण समिति, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया एवं गहन चिकित्सा विभाग, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-65/एनेस्थीसिया/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2025, दिनांक-29.05.2025 द्वारा **कुल 484**, डा0 पुनीता मानिक, अध्यक्ष (**नान क्लीनिकल विषयों हेतु**) तकनीकी विशिष्टिता निर्धारण समिति, आचार्य, के0जी0एम0यू0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-177/एएनएटी/2025-26, दिनांक-05.06.2025 द्वारा **कुल 197** तथा डा0 मोनिका अग्रवाल, अध्यक्ष (**पैरा क्लीनिकल विषयों हेतु**) तकनीकी विशिष्टिता निर्धारण समिति, आचार्य, के0जी0एम0यू0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-1713/सी0एम0/टेक्नी0स्पेशि0-2025, दिनांक-29.05.2025 द्वारा **कुल 230,** इस प्रकार **कुल 911 उपकरणों/फर्नीचरों (484+197+230)** हेतु तकनीकी विशिष्टियां निर्धारित की गयी है, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 06.06.2025 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक-16.01.2024 द्वारा गठित तकनीकी विशिष्टिता निर्धारण समिति के उक्त 03 अध्यक्षों (**क्लीनिकल विषयों हेतु, नान क्लीनिकल विषयों हेतु** व **पैरा क्लीनिकल विषयों हेतु**) द्वारा **कुल 911 उपकरणों/फर्नीचरों (484+197+230) हेतु निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों (छायाप्रतित संलग्न)** के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 02 वर्षों के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपकरणों/फर्नीचरों के क्रय हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। चिकित्सा संस्थाएं अपने स्तर पर तथा राजकीय मेडिकल कालेज व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पूर्व अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर गठित तकनीकी समिति के माध्यम से हाई एण्ड स्पेसिफिकेशन के उपकरणों के स्थान पर लो एण्ड स्पेसिफिकेशन वाले उपकरणो का क्रय कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4, उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।